

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

52/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2024/132

वादी

बनाम

प्रतिवादी

पपूराम पुत्र हनुमानराम

जाति भील निवासी कलावा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. भंवराराम पुत्र डूंगरराम
2. पुष्पा पत्नी आसूराम
3. अणसी पत्नी डूंगरराम
4. मालाराम पुत्र डूंगरराम
5. सूजाराम पुत्र प्रतापराम
6. हड़मानराम पुत्र चूनाराम
7. हीराराम पुत्र आसूराम जाति भील नाबालिग जरिए कुदरती वली माता पुष्पादेवी पत्नी आसूराम जाति भील
8. अमचुड़ी पुत्री गोमाराम
9. आसकीदेवी पत्नी चूनाराम
10. उकाराम पुत्र डूंगरराम
11. केवलराम पुत्र प्रतापराम
12. गोपाराम पुत्र केसाराम
13. घेवरराम पुत्र प्रतापराम
14. धुड़ाराम पुत्र डूंगरराम जाति भील निवासी उमरलाई वी.पी/-पारलू तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता वादी

2. प्रतिवादी एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 23/2/2026

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 309 क्षेत्रफल 15.5551 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 12.9.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी अधिवक्ता बंटवाड़ा प्रस्ताव



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है, तदनुसार गाफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा की खेत खरारा संख्या 309 क्षेत्रफल 15.5551 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।


क्र.सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किरम	वरंग
1	पपूराम पुत्र हनुमानराम जाति भील सा. कलावा	उमरलाई खालसा	309	5.7541	वा.अव्वल	नीला
2	अणची पत्नि डुंगरराम हि. 68/775 पुष्पा पत्नि आसुराम हि. 35/775 भंवराराम पुत्र डुंगरराम हि. 68/775 मालाराम पुत्र डुंगरराम हि. 68/775 सूजाराम पुत्र प्रतापराम हि. 41/1240 हडमानराम पुत्र चूनाराम हि. 41/2480 ना.बा.हीराराम पत्नि आसुराम संरक्षक सरपरस्त माता पुष्पा हि. 35/775 अमचुडी पत्नि गोमाराम हि. 205/1550 आसकी देवी पत्नि चुनाराम हि. 41/2480 उकाराम पुत्र डुंगरराम हि. 68/775 केवलराम पुत्र प्रतापराम हि. 41/1240 गोपाराम पुत्र केसाराम हि. 160/775	उमरलाई खालसा	309	9.8010	बा.अव्वल	हरा




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोत्रा

घेवरराम पुत्र प्रतापराम हि. 41 / 1240					
धुडाराम पुत्र डुंगरराम हि. 68 / 775					
जाति भील सा. देह					

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।


(अशोक कुमार) 23/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23/2/26 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा



मूलवाद में अंतिम छिद्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 52/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/132

वादी

बनाम

प्रतिवादी

पपूशम पुत्र हनुमानराम
जाति भील निवासी कलावा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. भविराम पुत्र झुंगरराम
2. पुष्पा पत्नी आरूराम
3. अणसी पत्नी झुंगरराम
4. गालाराम पुत्र झुंगरराम
5. रजूराम पुत्र प्रतापराम
6. छडमानराम पुत्र चूनाराम
7. हीराराम पुत्र आरूराम जाति भील
नाबालिग जरिए कुदरती वली माता पुष्पादेवी
पत्नी आरूराम जाति भील
8. अगचुड़ी पुत्री गोगाराम
9. आराकीदेवी पत्नी चूनाराम
10. उकाराम पुत्र झुंगरराम
11. केवलराम पुत्र प्रतापराम
12. गोपाराम पुत्र केसाराम
13. घेवरराम पुत्र प्रतापराम
14. धुङ्गाराम पुत्र झुंगरराम जाति भील
निवासी उमरलाई वी.पी/-पारलू
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
15. राजरथान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :52/2024

निर्णय दिनांक :- 23.2.2026

वादी की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 28.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 23.2.2026 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
(अशोक कुमार) 23/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	_____	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	_____
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	_____	जोड़	_____

(Signature)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा